

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर**

पत्रांक 319 / 2 ई.व. भू
सेवा में,

दिनांक 30/01/2024

**प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।**

विषय:- जनपद बागेश्वर में मानियाछीना-भाटगाड़ मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.6576 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०८/८६/२०१५/४६२ दिनांक ०८.०५.२०१५

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं० २९१३/२ई०व०भू० दिनांक ०१.१२.२०१७ द्वारा आपके माध्यम से प्रेषित की गई थी, वर्तमान में आपके पत्र सं० ५२८२/१२-१-२ बागेश्वर दिनांक २८.०६.२०२३ द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. की देय धनराशि की मांग की गई थी, जमा की जा चुकी है। अतः संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार चार ४ प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तों के (संशोधित) अनुपालन आख्या

क्र०स०	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ३.३१५२ है० बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या १ के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित ३.३१५२ है० ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० ८,३९,८४६.०० मात्र (रू० आठच लाख उन्तालीस हजार आठ सौ छियालीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं० SBINR52017110900008058 दिनांक ०९.११.२०१७ द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ३.३१५२ है० ग्राम बदियाकोट का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं० १९१/छब्बीस-वन/२०१६-१७ दिनांक ०३.०५.२०१७ द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रांक-१८९/ र०का० / व०भू०ह०/२०१६-१७ दिनांक १८.०५.२०१७ द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।) (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० ५-३ / २००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त सं० २ के अनुपालन में रू० १०,८९,०४३.०० (रू० दस लाख नवासी हजार तैंतालीस मात्र) एन०पी०वी० की धनराशि भुगतान UTR नं० SBINR52017110900008058 दिनांक ०९.११.२०१७ द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)

		तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि UTR No-SBIN423270690699 dtd 27.09.2023 द्वारा रू0 05,77,193.00 जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्धता (प्रमाण पत्र संलग्न है)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।	शर्त सं0 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरे सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तदर्थ निकाय खाते में ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होता है उसी के माध्यम से जमा कर दिया गया है (प्रति संलग्न)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेशित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण (प्रमाण पत्र संलग्न है)।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना चार प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

डिप्टी वर
30/01/2024
बागेश्वर
बागेश्वर

of

भवदीय,
29/01/24
अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

वन सदैव आपके संग

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 788 / 12-1 बागेश्वर, दिनांक : 10 / 10 / 2017
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० विभाग
बागेश्वर

विषय - जनपद बागेश्वर में मनियाछीना भाटगाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.6576 है० वन भूमि
का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (13/10/2015)
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1256/2ई० व०मू० दिनांक 10.06.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	मद	क्षेत्रफल	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	1.6576 है०	657000.00	1089043.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.3152 है०	2,53,332.00	8,39,846.00

उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का अकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक -596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के द्वारा निर्धारित दरों के क्रम में वर्ष 2017-18 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाइन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

वन सदैव आपके संग

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष / फैंक्स नं० : 05963-220249 फैंक्स नं० 05963-220209



पत्राक 5282 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 28/06/2023

सेवा में,
अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०विभाग,
बागेश्वर।

विषय - जनपद बागेश्वर में मनियाछीना भाटगाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.6576 है० वन भूमि में अतिरिक्त एन०पी०वी० धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र क्रम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन०पी०वी० की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के क्रम में उक्त प्रस्ताव में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 08 जून 2018 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पाँच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र० सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन०पी०वी०	1.6576 है०	5	0.2	10052*0.00	16,66,236.00	10,89,043.00	5,77,193.00
कुल योग						16,66,236.00	10,89,043.00	5,77,193.00

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6113103994
State Code.	UK
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	577193/-

Amount in Words :Five Lakh Seventy-Seven Thousand One
Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6113103994
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6113103994
State Code.	UK
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	577193/-

Amount in Words :Five Lakh Seventy-Seven Thousand One
Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6113103994
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: ubicampa@unionbankofindia.com

SBIN423270690699 Dt-22/9/2023



उत्तराखण्ड शासन
फोन/फैक्स नं०-05963-220006

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० बागेश्वर।

PWD
Uttarakhand

E-mail id- pdpwdtgr@gmail.in

पत्रांक 3837/कैश

दिनांक 27/09/2023

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :-

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर मनियाछीना भाटगाड़ मोटर मार्ग का निर्माण (4 किमी०) हेतु अतिरिक्त एन०पी०वी० धनराशि जमा करने हेतु कोषागार बागेश्वर से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर के नाम बैंकर्स चैक सं०- 639459 दिनांक 18.09.2023 ₹ 577193.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं०- 150896113103994 IFSC Code- UBIN0996335 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :- बैंकर्स चैक सं०-639459 दिनांक 18.09.2023 ₹ 577193.00 मात्र मूल में।

UBIN 423270690699

(Handwritten signature)

(इ० धन सहायक कृषिपाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर।

पत्रांक :-
प्रतिलिपि,
प्रतिलिपि,

/कैश, तद दिनांक।

सहायक अभियन्ता प्रभारी, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर।

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

भारतीय स्टेट बैंक, बागेश्वर शाखा-016931	
PF ID: 1002482	
Posted: 27 SEP 2023	Chked. By
Name: MANISHA TIWARI	
Signature.....	

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर।

आदेश

उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के आधार पर जनपद बागेश्वर में मानियाछीना-भटगाड मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.657 है० की दुगनी अवनत वन भूमि 3.315 है० जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी श्रेणी 9(3)ख जंगल के खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4140 रकवा 2.610 है०, मध्ये 0.610 है०, खेत नं० 4275 रकवा 2.750 है०, मध्ये 2.705 है०, कुल रकवा 3.315 है० श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(11)/2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं वनजलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या 08 बी/यू०सी०पी०/०६/८६/२०१५/४६२ दिनांक ०८ जून, २०१६ में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्णित ३.३१५ है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।



जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

संख्या - 191 / छब्बीस - वन / 2016-17 दिनांक 03 / 05 / 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० बागेश्वर।

3- उपजिलाधिकारी, कपकोट।

4-तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।


17/5/17
बागेश्वर

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या-189/र०का०/व०भू०ह०/2016-17/दिनांक 18 मई, 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।



विषय :- जनपद बागेश्वर में मानियाछीना-भटगाड़ मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.657 है० के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुनी अवनत भूमि 3.315 है० भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के आदेश संख्या-191/छब्बीस- वन/ 2016-17 ,दिनांक 03/05/2017 के अनुपालन में ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4140 रकवा 2.610 है० मध्ये 0.610 है०, खेत नं० 4275 रकवा 2.750 है०, मध्ये 2.705 है० कुल रकवा 3.315 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट

- प्रतिलिपि :-
- (01) जिलाधिकारी, महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल अवलोकनार्थ प्रेषित।
 - (02) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर को मय खतौनी नकल प्रेषित।

तहसीलदार
कपकोट

बागेश्वर
19/5

जो ज० वि० खतोनी उद्दरों

शाम - काँध्याकोट पटवारी क्षेत्र काँध्याकोट तहसील कपकोट जिला - बागेश्वर

श्रेणी - ६ (३) ख (१) इयारती लकड़ी के पत्त

क्रमांक	नाम खालेदार	ज० सं	खेत नम्बर	खता	कमान	विवरण
१०	जंगल		१४८	५११		<p>जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर जे आठ नं० १९१/३५५१११ वन/२०१६ दि दि० ०३/०५/२०१६ के शासनद्वारा जारी २१७३/४४११११/२०१६-१६८१२० २०१२ दि० १७ दि० २०१२ तथा अन्त स्वरूप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारितोषिक मंत्रालय के अधिनियम के पक्ष में ०६वीं क्र० सं० १०६/२६/२०१५ दि दिनांक ०६ जून २०१६ में श्रमजीवी श्रम के अधिनियम का काँध्याकोट के जे विस्तार १०६/११०/१०६/११०/११० के पैमाइशी खेत नम्बर ११०/११० २६१० हे० मध्ये ०६१० हे० क्षेत्रफल ४२१५ खता २०१८ हे० मध्ये २०१८ कुल खता ३०३५ हे० में ११०/११० जंगल के रूप में दर्ज श्रमजीवी श्रम पूरत पुनारोपण विधि लागू है कि वन विभाग के पक्ष में इजाजत/परम निया।</p>
			१४८	२३१		
			१४६५	३६८११		
			१४६६	१२६०११		
			१४६७	१२५		
			१४८०	२५१११		
			— श्रमजीवी —			
			४१३८	२४०		
			४१४०	१३०११		
			४१४१	१२२		
			४१४२	१२५		
			— श्रमजीवी —			
			४२७४	६३१११		
			४२७५	१३६०११		
			४२७६	१०६११		
			— श्रमजीवी —			
			२३०३	३		
			२३०४	११		
			२३०५	२		
	योग		३६८	४४०४१२		

अहोदय

तैयार किया, Gahul
२१०३८ दि० १७.५.१७
काँध्याकोट
तहसील कपकोट
जिला बागेश्वर

प्रतिहस्तासहित,
तहसीलदार
तहसील कपकोट

प्रतिपत्र / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन
Application for RTGS/NEFT Remittance



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा / Branch : Bageshwar

दिनांक/Date : 08-11-2017

Received From Executive Engineer P. D.
P.W.D. BAGESHWAR से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए
By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT
पर / on : UTTARANCHAL CAMPA

बैंक / Bank : Corporation Bank

शाखा / Branch : BANGALORE

के पक्ष में / Favouring : UTTARANCHAL CAMPA

आईएफएससी कोड / IFSC Code : CORPO000633


खाता संख्या / Account No. : 15089113103201590

राशि (रुपये) / Amount ₹ :	00	99	28	88	9
बैंक प्रभार/Bank's charges ₹ :			00	00	
योग / Total ₹ :	00	19	28	88	9


राशि / Rupees (in words) : Ninteen Lac twenty eight thousand eight hundred eighty nine only.
SBINR52017110900008058

सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में किया जायेगा।



सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर



अधिशारी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर


2.37


प्रपत्र- 51

परियोजना का नाम:- राज्य योजना में जनपद बागेश्वर में मनियाछीना- भाटगड़-पगना मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर


अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिरियसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो०ओ० न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006
दूर भाषा: 0135-2750809,
ईमेल/Email - moef.ddu@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/८६/२०१६/५८२

दिनांक: ४ जून, 2016

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद-बागेश्वर में मनियाछीना भाटगाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.0576 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 634/X-4-15/1(371)/2015 दिनांक- 31.07.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online proposal No. FP/UK/ROAD/13103/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विमर्शित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी/वस्तावेज online मांगाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-बागेश्वर में मनियाछीना भाटगाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.0576 हे० वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.3152 हे० ग्राम बढियाकोट सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बकी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूररी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क के निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत

वन रक्षक प्रमुख

Dfo to MPV, S. M. S. D. C. (S. M. S. D. C.)


10.6.16

विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इधर कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

वैधान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एम.पी.वी. की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एम.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.3152 हे० सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास गजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमंकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 121 से अधिक न हो।
10. सड़क के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुबंध आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,



(एम०एस० नेगी)

वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिधर्शन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम०एस० नेगी)

वन संरक्षक